जहाज के मरम्मत के लिए लाइसेन्स प्रदान करना

भारत सरकार

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

सं0 पीडबल्यू/पीजीएल/2/81, नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

सा0का0नि0 417 : महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963* की धारा 126 *(1963 का 38) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (जहाज मरम्मत, जहाज चेन्डलिंग, चिप्पिंग एवं पेइन्टिंग तथा विविध व्यापारों के लिए लाइसेन्स का प्रदान करना) विनियम 1984 कहे जाएं।

2 ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

3 **परिभाषा :**

इन विनियमों में, अन्यथा जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :–

(i) ''अधिनियम'' का तात्पर्य है, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ;

(ii) ''बोर्ड'' का तात्पर्य है, अधिनियम के अधीन गठित तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासी ;

(iii) ''अध्यक्ष'' बोर्ड के न्यास के अध्यक्ष ;

(iv) ''पत्तन'' का तात्पर्य है, तूत्तुक्कुडि पत्तन ;

(v) ''यातायात प्रबंधक'' का तात्पर्य है, यातायात विभाग के उस समय के प्रभारी अधिकारी और यातायात प्रबंधक के प्रतिनिधि एवं सहायक और यातायात प्रबंधक के प्राधिकरण के अधीन कार्यकारी अन्य कोई अधिकारी ;

(vi) ''उप संरक्षक'' का तात्पर्य है, पत्तन के समुद्री विभाग के प्रधान और समुद्री विभाग के प्रधान की ओर से विधिवत् प्राधिकृत हार्बर मास्टर या कोई पायलट भी शामिल हैं ;

4 बोर्ड की ओर से यातायात प्रबंधक, इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, पत्तन में जहाज के मरम्मत, चिप्पिंग व पेइंटिंग, शिप चेन्डलिंग, टेइलरिंग, लॉन्डिरी, हेयर ड्रेसिंग एवं विविध व्यापारों के कार्य को निष्पादन करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई कंपनियों, फर्मों एवं व्यक्तियों को हरेक साल लाइसेन्स जारी करेंगे या यातायात प्रबंधक द्वारा जारी किए गए ऐसे लाइसेन्स के अधीन को छोडकर, पत्तन में किसी भी वेसल के ऑन–बोर्ड पर या पत्त के अंदर कार्य करने के लिए कंपनी, फर्म या व्यक्ति को अनुमति नहीं जाएगी।

5 कोई भी कंपनी, फर्म या व्यक्ति जिसे लाइसेन्स की जरूरत है, वो यातायात प्रबंधक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में दे सकता है और हरेक आवेदन के लिए रु 10/– का भुगतान करते हुए यातायात प्रबंधक के कार्यालय से इस निर्धारित आवेदन प्रपत्र को प्राप्त कर सकता है।

6 यातायात प्रबंधक, इन विनियमों के अधीन जारी किसी भी लाइसेन्स को किसी भी समय पर रद्द कर सकते हैं या जारी किए गए लाइसेन्स को, तूत्तुक्कुडि पत्तन के नियम, 1977 के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर, विशिष्ट रूप से ऐसी अवधि के लिए लाइसेन्स को निलंबित या रद्द भी कर सकते हैं , अगर , –

ए) लाइसेन्स प्रदान करने के उपरान्त, अगर यह पाया जाता है कि

लाइसेन्स के आवेदन में, सामग्री तथ्यों का किसी प्रकार का अन्यथाकथन या झूठा विवरण दिया गया है ; या

बी) अगर लाइसेंसधारक को दिवालिया घोषित किया गया है या मामला हो सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है ; या

सी) अगर लाइसेंसधारक या उसके किसी भी कर्मचारी को बोर्ड की संपत्ति या किसी भी जहाजी मालों या उपकरणों के लिए नुकसान पहुँचाता है या ;

डी) अगर लाइसेंसधारक या उसके किसी भी कार्यकर्ता बंदरगाह में किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करता है या ;

इ) लाइसेंसधारक और उसके अधिकृत एजेंट द्वारा सीमाशुल्क कानूनों के उल्लंघन के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा लिखित शिकायत पर,

बशर्ते कि इस तरह के लाइसेन्स को रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारक को यह दिखाने का एक उचित अवसर नहीं दिया गया है कि क्यों मामला रद्द नहीं किया जाना चाहिए या मामले के रूप में निलंबित क्यो किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि कारण दिखाने के लिए ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाए जब जांच के लंबित लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाए यदि अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ सार्वजनिक हित में ऐसा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

7 यातायात प्रबंधक के आदेश से पीड़ित किसी भी कंपनी , फर्म या व्यक्ति को पहले से जारी किए गए लाइसेंस देने या रद्द करने या निलंबित करने से इंकार कर दिया गया है तो यातायात प्रबंधक का अदेश प्राप्त करने की तारीख से, 30 दिनों के अंदर, इस संबंध में याचिका में, अध्यक्ष को लिखित में अपील की जा सकती है। । अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8 जहाज के मरम्मत, चिप्पिंग एवं पेइंटिंग तथा शिप चेन्डलिंग के मामले में, इन नियमों के तहत लाइसेन्स के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, सीमाशुल्क विभाग के एक अधिकारी, जो कि अधीक्षक के पद से नीचे नहीं होगें, द्वारा जारी किए गए ''कोई आपत्ति प्रमाणपत्र'' और तहसीलदार द्वारा जारी ''सॉल्वेन्सी प्रमाणपत्र'' या

एक राष्ट्रीयकृत बैंक से रु 50,000 से नीचे नहीं का रकम का प्रमाण होना चाहिए। उपर्युक्त प्रमाणों के साथ आवेदन न होने पर, आवेदन को खारिज़ कर दिया जाएगा।

9 लाइसेंसधारक या उसके प्राधिकृत एजेन्ट को जारी किए गए ऐसे लाइसेंस, उन्हें पत्तन में प्रवेश करने या किसी भी वेसल के बोर्ड पर, उनके पेशायी कार्यों को ही करने के लिए अनुमति देती है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। वेसलों के बोर्ड पर चढने के लिए अनुमति, संबंधित स्टीमर एजेन्टों से ही प्राप्त करनी होगी। स्टीमर एजेन्टों से प्राप्त अनुमति को, लाइसेंसधारक या उनके प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा, पत्तन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हरेक अवसर पर, पत्तन के सुरक्षा कर्मचारी को दिखाना होगा, और जिसके चूके जाने पर, लाइसेंसधारक या उनके प्राधिकृत कर्मचारी को सुरक्षा कर्मचारी द्वारा पत्त्न क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस लाइसेंस को दोनो लाइसेंसधारक या उनके प्राधिकृत एजेन्ट को, जबकभी भी पत्तन न्यास, सीमाशुल्क, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या इस ओर से प्राधिकृत पुलिस द्वारा मांगे जाने पर, प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंसधारक या उनके प्राधिकृत एजेन्ट को, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 एवं समय समय पर बनाए गए सभी नियमों एवं विनियमों, के प्रावधान का पालन करना है और यह सुनिश्चित भी करेंगे कि जिस कार्य को करने के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है, को पूरा करने के बाद, पत्तन परिसर में प्रवेश करने या से जाने से पहले, इन प्रावधानों का अनुसरण करेंगे।

10 लाइसेन्सधारक को , जब कभी भी किसी भी व्यापार को करने केलिए उन्हें लाइसेन्स जारी किया जाता है तो, यातायात प्रबंधक को पहले से ही उनके कर्मचारियों तथा एजेन्ट के नाम व विवरणों को सूचित करना होगा और पत्तन क्षेत्र में प्रवेश करने केलिए यातायात प्रबंधक से लिखित रूप में विशिष्ट अनुमोदन भी प्राप्त करनो होगा।जो कोई भी व्यक्ति, जिसे यातायात प्रबंधक द्वारा, व्यापार करने हेतु प्राधिकृत कर्मचारी या लाइसेन्सधारक के एजेन्ट के रूप अनुमोदित नहीं किया गया है तो, उसे पत्तन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

11 लाइसेन्सधारक या उसके एजेन्ट, संबंधित स्टीमर एजेन्ट से पूर्व अनुमति प्राप्त किए गए बगैर, किसी भी वेसल पर बोर्ड नहीं करेंगे।

12 कोई भी लाइसेन्स, समय समय पर बोर्ड द्वारा नियतानुसार लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर ही जारी या नवीकरण की जाएगी। शिप मरम्मत, शिप चेन्डलिंग एवं चिप्पिंग तथा पेइन्टिंग के लिए लाइसेन्स जारी करने का शुल्क रु 1500/– और विविध व्यापार के लिए लाइसेन्स जारी करने हेतु शुल्क रु 250/– होगा।

13 लाइसेन्सधारक को, शिप मरम्मत, चिप्पिंग एवं पेइंटिंग तथा शिप चेन्डलिंग के मामले में, बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को रु 3000/– की रकम को जमा करना होगा और विविध व्यापार के मामले में, लाइसेन्स शुल्क के साथ, रु 500/– की रकम को सुरक्षा निक्षेप के रूप में, जमा करना होगा।

बशर्ते कि इस सुरक्षा जमा को और किसी भी नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए या देय रकम को उपयुक्त करने का विकल्प बोर्ड केलिए खुला होगा।

14 लाइसेन्सधारक को, यातायात प्रबंधक द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर, किसी भी संबंधित सूचना को जमा करना होगा और उसी तरीके एवं स्वरूप में, जिसे यातायात प्रबंधक द्वारा या समय समय पर उनके सहायकों द्वारा आवश्यकता हो सकता है।

15 लाइसेन्सधारक को, लाइसेन्स से संबंधी कार्यों को करने के लिए, सिर्फ कार्यदिवसों में पर्वाह्न 6 बजे से अपराह्न 6 बजे तक और अन्य दिवसों में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक , पत्तन परिसरों में प्रवेश करने का अधिकार है। फिरभी, लाइसेन्सधारक को, यातायात प्रबंधक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी की इच्छानुसार, किसी तत्काल कार्य के लिए, किसी भी समय पर, पत्तन परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती ।

16 लाइसेन्स हस्तांतरणीय नहीं है और लाइसेन्स के अधीन सिर्फ लाइसेन्सधारक और उसके प्राधिकृत कर्मचारी को ही संचालन करना है।

17 किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में, किसी भी दिन या दिन के किसी हिस्से में, हार्बर परिसरों में संपूर्णतः या किसी भी भाग में आमजनता को शामिल किए जाने का निर्णय लिए जाने के उपलक्ष्य में, यातायात प्रबंधक अपनी इच्छानुसार, एसी अवधि या अवधियों के लिए, विशिष्टानुसार लाइसेन्स को निलंबित कर सकते हैं।

18(1) यातायात प्रबंधक द्वारा जारी किया गया लाइसेन्स, जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर लाइसेन्सधारक, लाइसेन्स को नवीकरण करने की इच्छा रखता है तो उसे लाइसेन्स समाप्त होने के एक महीने पहले ही आवेदन करना होगा और इस अवधि के बाद, नवीकरण के लिए किए गए आवेदन के मामले में, शिप मरम्मत या शिप चेन्डलिंग या चिप्पिंग तथा पेइन्टिंग के लिए रु 100/– का विलंब शुल्क और विविध व्यापार के लिए रु 25/– को विलंब शुल्क अदा किया जाएगा।

बशर्ते कि कोई भी आवेदन, लाइसेन्स की अवधि के वास्तविक समाप्त होने की तारीख के बाद, नवीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) शिप मरम्मत, या शिप चेन्डिलिंग या चिप्पिंग एवं पेइन्टिंग के मामले में और अन्य विविध व्यापार के मामले में, लाइसेन्सधारक को जारी किया गया लाइसेन्स अगर खो जाता है तो, लाइसेन्स की प्रतिलिपि जारी करने हेतु, धारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त करते हुए, रु 100/– एवं रु 25/– क्रमशः का भुगतान करते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

19 बोर्ड के न्यासीगण किसी भी समय पर, बिना कोई कारण या किसी प्रकार की सूचना दिए बगैर, इन विनियमों के तहत जारी किए गए लाइसेन्स को रद्द कर सकते हैं।

20 शिप मरम्मत लाइसेन्स के मामले में, लाइसेन्सधारक, तूत्तुक्कुडि पत्तन नियम, 1977 के नियम 26 में प्रबंध किए गए अनुसार, शिप मरम्मत कार्य को देखने के लिए , अर्हता प्राप्त समुद्री अभियंता या यांत्रिक अभियंता द्वारा प्रमाणित दो वेल्डरों से कम नहीं को नियोजित कर सकते हैं और अर्हता प्राप्त कर्मियों के पर्यवेक्षण के अधीन उचित रूप से सुसज्जित कार्यशाला होनी चाहिए।

21 कोई भी कंपनी, फर्म या व्यक्ति, जो या तो शिप मरम्मत या चिप्पिंग एवं पेइन्टिंग या दोनो कार्य करने का इच्छुक है, को लिखित रूप में सभी संबंधित एवं अपेक्षित सूचना को उप संरक्षक को प्रस्तुत करना होगा और पत्तन में किसी भी शिप के बोर्ड पर कोई भी शिप मरम्मत या चिप्पिंग एवं पेइन्टिंग कार्य या दोनो को करने से पहले उप संरक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।